Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 212–2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 20, 2021 (AGRAHAYANA 29, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 20th December, 2021

No. 36-HLA of 2021/92/31834.— The Haryana Excise (Amendment) Bill, 2021 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 36-HLA of 2021

THE HARYANA EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Excise Act, 1914.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Excise (Amendment) Act, 2021. Short title.

2. In sub-section (1) of section 27 of the Haryana Excise Act, 1914 (hereinafter called the principal Act), for the words and sign "twenty–five years", the words and sign "twenty-one years" shall be substituted. Amendment of section 27 of Punjab Act 1 of 1914.

3. In section 29 of the principal Act, for the words and sign "twenty-five years" wherever occurring, the words and sign "twenty-one years" shall be substituted. Amendment of section 29 of Punjab Act 1 of 1914.

4. In section 30 of the principal Act, for the figure and words "25 years" wherever occurring, the words and sign "twenty-one years" shall be substituted. Amendment of section 30 of Punjab Act 1 of 1914.

5. In section 62 of the principal Act, for the words and sign "twenty-five years" wherever occurring, the words and sign "twenty-one years" shall be substituted. Amendment of section 62 of Punjab Act 1 of 1914.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The section 27 of the Haryana Excise Act, 1914 provides that the lease for manufacturing, wholesale or retail sale of any country liquor or intoxicating drug may be granted by the State Government to a man not below the age of 25 years. The section 29 prohibits any licensed vendor or any person in the employ of such vendor or acting on his behalf to sell or deliver any liquor or intoxicating drug to any person apparently under the age of twenty-five years. The section 30 provides that no man under the age of 25 years or any women may be employed by any person who is licensed to sell any liquor or intoxicating drug for consumption of his premises. Further, Section 62 provides that if any licensed vendor or its employee or any person acting on his behalf, sells or deliver any liquor or intoxicating drug to any person apparently under the age of 25 years, he shall in addition to any other penalty to which he may be liable be punishable with a fine that may extend to 50,000/- rupees.

At the time of framing the Excise Policy for the year 2021-22, it was discussed that the above age limit may be reduced from twenty-five years to twenty-one years, as many of other States have prescribed lower age limits. The National Capital Territory of Delhi has also recently reduced this age limit to twenty-one years.

Moreover, the socio economic conditions of the day have changed drastically from the time when the above provisions were incorporated in the Excise Act. The people now are more educated and participating in new endeavors and also can take rational decision when it comes to responsible drinking.

Accordingly, it is proposed that the minimum age limit of twenty-five years as provided in sections 27, 29, 30 & 62 of the Haryana Excise Act, 1914 may be reduced to twenty-one years.

Hence, this Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 20th December, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 36–एच.एल.ए.

हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 27 की उप–धारा (1) में, "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "इक्कीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। — 1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 27 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 29 में, "पच्चीस वर्ष" शब्द जहाँ कहीं भी आए के स्थान पर, "इक्कीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। — 1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 29 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 30 में, "25 वर्ष" अंक तथा शब्द जहाँ कहीं भी आएं, के स्थान पर, "इक्कीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। — 1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 30 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 62 में, "पच्चीस वर्ष" शब्द जहाँ कहीं भी आए के स्थान पर, "इक्कीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। — 1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 62 का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार द्वारा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। धारा 29 किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता के नियोजन में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को पच्चीस वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती है। धारा 30 में यह प्रावधान है कि 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता है, जिसके पास अपने परिसर के उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस है। इसके अलावा, धारा 62 में प्रावधान है कि यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता है या वितरित करता है, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त होगा, जिस पर वह 50,000/– रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय हो सकता है।

वर्ष 2021–22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय, यह चर्चा की गई थी कि उपरोक्त आयु सीमा को पच्चीस वर्ष से घटाकर इक्कीस वर्ष किया जा सकता है, क्योंकि कई अन्य राज्यों ने निम्न आयु सीमा निर्धारित की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में इस आयु सीमा को घटाकर इक्कीस वर्ष कर दिया है।

इसके अलावा, उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था। लोग अब अधिक शिक्षित हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं और जिम्मेदार शराब पीने की बात आने पर तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।

तदनुसार, यह प्रस्ताव है कि हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 27, 29, 30 और 62 में उपबंधित पच्चीस वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को घटाकर इक्कीस वर्ष किया जा सकता है।

अतः यह विधेयक।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 20 दिसम्बर, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9424—H.V.S.—H.G.P. Pkl.